यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) ऊधम सिंह नगर द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) ऊधम सिंह नगर के माह 04/2016 से 07/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री विजय कुमार वरिष्ठ लेखापरीक्षक, एवं श्री अजय कुमार सचान सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा श्री महेन्द्र तिवारी वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में दिनांक 21.08.2018 से 25.08.2018 तक सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की यह प्रथम लेखापरीक्षा है।
2. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः-** कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) ऊधम सिंह नगर द्वारा राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शिक्षक के संवर्ग से संबन्धित समस्त सेवा सम्बन्धी प्रकरण, लिपिक एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियो तथा अशासकीय वित्त सहित विद्यालयो के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शिक्षक के संवर्ग से संबन्धित समस्त सेवा सम्बन्धी प्रकरण, चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियो की नियुक्ति व स्थानांतरण का कार्य किया जाता है।
3. **कार्यालय का भौगोलिक अधिकार क्षेत्र समस्त ऊधम सिंह नगर जनपद है।**

(ii) (अ) विगत वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2016-17	-	-	49.06	48.34	-	-	-	0.72
2017-18	-	-	63.64	57.15	-	-	-	6.49
2018-19 (24.08.18 तक)	-	-	43.18	20.06	-	-	-	23.12

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	आधिक्य (+)	बचत(-)
2016-17	शून्य					
2017-18						
2018-19						

(iii) इकाई को बजट आवंटन उत्तराखण्ड सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई सी श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1. सचिव
2. अपर सचिव/महानिदेशक
3. निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा
4. मंडलीय अपर निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा
5. मुख्य शिक्षा अधिकारी
6. जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा
7. उप शिक्षा अधिकारी

लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) ऊधम सिंह नगर को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) ऊधम सिंह नगर की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 08/2016 एवं 05/2017 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया|

लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-दो "ब"

प्रस्तर 01: धनराशियों का रोकड़ बही में अंकन नहीं किया जाना

प्रत्येक आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा प्रपत्र GAR III मे रोक़ड़ बही का रखरखाव किया जाना आवश्यक है। जिसमे समस्त वित्तीय लेन-देनों को उनके होने के तत्काल बाद रोक़ड़ बही मे दर्ज किया जाना चाहिए ।

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा॰) ऊधम सिंह नगर चयनित माह अगस्त 2016 एवं मई 2017 के लेखा अभिलेखों की नमूना जांच मे पाया गया कि इकाई द्वारा वेतन से संबन्धित निम्न धनराशियों को रोकड़ बही में अंकित नहीं किया गया है। विवरण निम्नानुसार है।

माह	बिल सं.	धनराशि
अगस्त 2016	11508	3,55,162
मई 2017	70905	4,34,508
मई 2017	01205	4,75,248

लेखापरीक्षा मे इगित किये जाने पर इकाई ने उत्तर मे कहा कि अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा । इकाई का उत्तर स्वत: ही लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि है ।

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
प्रथम लेखापरीक्षा		

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
शून्य				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

.............................Nil...............................

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) ऊधम सिंह नगर तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः शून्य**
2. **सतत् अनियमितताएः**

(i) शून्य ।

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

नाम	**पदनाम**	**अवधि**
1. श्री दिनेश चन्द्र सती	जि॰शि॰अ॰	19.09.2015 से 19.05.2017
2. श्री अशोक कुमार गुसाई	जि॰शि॰अ॰	20.05.2017 से 06.11.2017
3. श्री रवि मेहता	जि॰शि॰अ॰	06.11.2017 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) ऊधम सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सामाजिक क्षेत्र